तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

22/01/2021 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि वाद ग्रस्त आराजी ग्राम लवेरा कलां के खसरा संख्या 807/1 रकबा 09बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 804 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है तथा उक्त भूमि के पास (माठ मिलती हुई) अप्रार्थीगणों के खसरा सं. 807/2 रकबा 07बीघा 18 बिस्वा, खसरा सं. 806 रकबा 04बीघा 06 बिस्वा खातेदारी कृषि भूमि आई हुई है। उक्त भूमि के सभी खसरे माठो माठ चिपते है तथा सीमाज्ञान नहीं होने से विवाद की स्थिति बनी हुई है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि की पुनः पैमाईश (सीमांकन) कर पत्थर गढी करवाने चाहते है। अतः पत्थर गढी का आदेश फरमावे।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गढी बाद सीमांकन करवाने के अधिकारी है। इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 RLR स्वीकार किया जाता है। ग्राम लवेरा कलां के ख०सं० 807/1 एवं 804 कुल रकबा 13बीघा 02 बिस्वा [illegible] भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढी करने [illegible] तहसीलदार बावडी को दिये [illegible] आवश्यकतानुसार पुलिस [illegible] थानाधिकारी से प्राप्त [illegible] पत्थर गढी की कार्यवाही [illegible]।

तहसीलदार बावडी को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं [illegible] अधिकारी, बावडी

रा.मु.जो.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2022.02.23 16:13:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner